मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण, क्रम–03, कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़

पीठासीन अधिकारी :: डॉ. अंजुम खान, आर.जे.एस (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

मो. दु. वाद संख्या :: 314/2021
सी.आई.एस. नंबर :: 200/2020
सी.एन.आर. नंबर :: RJKB010007002020

01. भोलूराम पुत्र श्री रामसिंह उम्र 20 साल निवासी तिनकरूडी थाना मुण्डावर जिला अलवर जरिये वाद मित्र माता श्रीमती रीना देवी पत्नी श्री रामसिंह उम्र 42 साल निवासी तिनकरूडी थाना मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।

...प्रार्थी

बनाम

01. सतीश पुत्र श्री रामफल निवासी सरायकलां थाना मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान। चालक वाहन जीप नंबर आर.जे 14– यु.ए.– 9521

02. सुनील कुमार पुत्र श्री राजेश कुमार निवासी मौहल्ला बुचाहेडा कस्बा कोटपूतली, जिला जयपुर, राजस्थान। मालिक वाहन जीप नंबर आर.जे 14– यु.ए.– 9521

03. युनाईटेड इण्डिया जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड जरिये रिजनल मैंनेजर रिजनल कार्यालय ट्रांसपोर्ट नगर जयपुर राजस्थान, बीमा कम्पनी वाहन जीप नंबर आरजे 14 युए 9521, प्रभावी दिनांक 18.06.2019 से 17.06.2020 तक।

....अप्रार्थीगण

क्लेम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 140/166 मोटर वाहन अधिनियम 1988

उपस्थितः
1. श्री पी. के. जोशी, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री विमल गोयल, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3 की ओर से।
3. एक पक्षीय कार्यवाही, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से।

–: निर्णय :– **दिनांक– 16.07.2026**

01. यह क्लेम याचिका मूल रूप से मोटरदुर्घटना वाद न्यायाधिकरण क्रम–1 कोटपूतली, जिला जयपुर में पेश हुई, तत्पश्चात् श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर, जिला जयपुर के आदेश क्रमांक 322/स्था. दिनांक 27.07.2021 की पालना में यह क्लेम याचिका इस न्यायाधिकरण को अन्तरित होकर प्राप्त हुई, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।

02. प्रार्थी भोलूराम की ओर से उक्त क्लेम याचिका विरूद्ध अप्रार्थीगण सतीश वगैरह के खिलाफ धारा 140/166 मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत् प्रतिकर के लिये पेश की गयी है।

03. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 13.10.2019 को प्रार्थी समय करीब रात्रि 8.00–8.30 बजे अपने घर से मोटर साईकिल से हरसोली रेलवे स्टेशन पर अपनी सास को लेने जा रहा था, जैसे ही हरसोली बस स्टेण्ड के नजदीक पहुंचा तो सामने से एक जीप नम्बर आरजे 14 यूए 9521 को उसका चालक तेजगति व लापरवाही से चलाता हुआ लाया और रोंग साईड में आकर प्रार्थी की मोटरसाईकिल के टक्कर मार दी जिससे प्रार्थी के शरीर के विभिन्न भागों पर गंभीर चोटें आई। प्रार्थी को खैरथल अस्पताल में भर्ती करवाया जहां हालत गंभीर होने के कारण सोलंकी अस्पताल अलवर में भर्ती करवाया वहां भी हालत गंभीर होने के कारण दिनांक 15.10.2020 को वेदान्ता अस्पताल गुडगांव में भर्ती करवाया जहां दिनांक 15.10.2019 से 11.11.2019 तक प्रार्थी का ईलाज चला, ईलाज के दौरान प्रार्थी का पैर काट दिया गया। यह दुर्घटना वाहन जीप नम्बर आरजे 14 यूए 9521 के चालक द्वारा वाहन को तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाने के कारण घटित हुई थी। उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना खैरथल में एफ. आई.आर. नम्बर 541/2019, अन्तर्गत धारा 279, 337 आई.पी.सी. में दर्ज की गई।

04. प्रार्थी वरवक्त दुर्घटना 20 साल का हष्ट पुष्ट एवं स्वस्थ व्यक्ति था। प्रार्थी पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी का कार्य करता था जिससे प्रार्थी प्रतिमाह 25000 रूपये कमा लिया करता था तथा अपना व अपने परिवार का गुजारा करता था। प्रार्थी अपने परिवार में अकेला कमाने वाला है। उक्त दुर्घटना में प्रार्थी के हाथ, पैर, सिर व शरीर के विभिन्न भागों पर गंभीर चोटें आई तथा दौराने ईलाज प्रार्थी का पैर काट दिया गया। प्रार्थी के ईलाज में करीब 30,00,000/– रूपये खर्च हो चुके है तथा अब भी ईलाज चल रहा है जिसमें करीब 40,00,000/– रूपये और खर्च होने की सम्भावना है। प्रार्थी हर समय बिस्तर पर ही रहता है तथा प्रार्थी अपने नित्यकर्म भी स्वयं नहीं कर सकता है इसलिये प्रार्थी को एक सहायक रखना पड रहा है जिसको प्रार्थी प्रतिमाह 6000 रूपये वेतन देता है। प्रार्थी ने वेदान्ता अस्पताल की सलाह के अनुसार एक कम्पाउण्डर बॉडी मसाज के लिये रख रखा है जिसको प्रतिमाह 13000 रूपयें अदा करता है। प्रार्थी भोलाराम बेहोशी की हालत में है तथा प्रार्थी भविष्य में कोई काम नहीं कर सकेगा। प्रार्थी का चलना फिरना, उठना बैठना कतई संभव नही है। प्रार्थी स्थाई रूप से अयोग्य हो गया है। प्रार्थी को पूरा जीवन बिस्तर ही बिताना पडेगा। प्रार्थी की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। प्रार्थी को उक्त दुर्घटना में आई चोटों से भारी मानसिक व शारीरिक आघात पहुंचा है। प्रार्थी इन सब की पूर्ति द्रव्य में नहीं कर सकता है किन्तु फिर भी प्रार्थी मद

संख्या 24 में वर्णित राशि व मद संख्या 25 में विभिन्न प्रकार से वर्णित राशि, विपक्षीगण से संयुक्त तथा पृथक–पृथक रूप से प्राप्त करने का अधिकारी है।

05. अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से प्रार्थना पत्र का जबाव प्रस्तुत कर क्लेम याचिका में वर्णित अधिकांश मदों को जानकारी के अभाव में अस्वीकार करते हुए कथन किया कि उक्त दुर्घटना दिनांक 13.10.2019 को हुई तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 04.12.2019 को 47 दिन बाद दर्ज करवाई गई है तथा चोट प्रतिवेदन व एक्स रे रिपोर्ट दिनांक 19. 12.2019 को 62 दिन बाद बनाई है। क्लेमेंट ने नियमानुसार क्लेम पेश नहीं किया है। अतः जवाब क्लेम प्रार्थना पत्र पेश कर क्लेमेंटस का क्लेम प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारीज फरमाये जाने का निवेदन किया।

06. उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक विरचित किये गयेः–

01. आया अप्रार्थी संख्या 01 ने दिनांक 13.10.2019 को समय 08:30 पीएम पर वाके हरसौली बस स्टेण्ड के पास वाहन संख्या आरजे 14 युए 9521 को उपेक्षा अथवा लापरवाही से चलाकर प्रार्थी भोलुराम के टक्कर मारकर गंभीर चोटे कारित की ?

...प्रार्थी

02. आया विपक्षी संख्या 1 वाहन स्वामी विपक्षी संख्या 2 के नियोजन में था तथा उसकी सहमति से चालक का कार्य कर रहा था एवं उसी हाल में यह दुर्घटना कारित हुई है ?

....प्रार्थी

03. आया प्रार्थी बतौर प्रतिकर राशि कुल 1,39,45,000/– रूपए विपक्षीगण से बतौर दावा प्राप्त करने का अधिकारी है? यदि हॉ, तो विपक्षी से कितनी राशि और किस प्रकार देय होगी ?

....प्रार्थी

04. आया विपक्षी बीमा कंपनी ने अपने जवाब दावा में प्रारम्भिक एवं विशेष आपत्तियां उठायी है ? वह प्रभावकारी है? यदि हॉ, तो क्या बीमा कंपनी अपने दायित्व से उन्मोचित हो सकते है ?

....अप्रार्थी

05. अनुतोष ?

07. प्रार्थी की ओर से अपनी याचिका के समर्थन में साक्षी ए.ड. 1 रीना, ए.ड. 2 सन्नी कुमार व ए.ड. 3 भोलूराम को पेश कर परीक्षित करवाया है एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 01 लगायत प्रदर्श 273 पेश किए।

08. अप्रार्थी संख्या 03 बीमा कंपनी की ओर से साक्ष्य पेश नहीं करने पर अप्रार्थी साक्ष्य बंद की गई।

09. दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा तर्क दिया गया है कि दिनांक 13.10.2019 को प्रार्थी समय करीब रात्रि 8.00–8.30 बजे अपने घर से मोटरसाईकिल से हरसोली रेलवे स्टेशन पर अपनी सास को लेने जा रहा था, जैसे ही हरसोली बस स्टेण्ड के नजदीक पहुंचा तो सामने से एक जीप नम्बर आरजे 14 यूए 9521 को उसका चालक तेजगति व लापरवाही से चलाता हुआ लाया और रोंग साईड में आकर प्रार्थी की मोटरसाईकिल के टक्कर मार दी जिससे प्रार्थी के शरीर के विभिन्न भागों पर गंभीर चोटें आई। प्रार्थी को खैरथल अस्पताल में भर्ती करवाया जहां हालत गंभीर होने के कारण सोलंकी अस्पताल अलवर में भर्ती करवाया वहां भी हालत गंभीर होने के कारण दिनांक 15.10.2020 को वेदान्ता अस्पताल गुडगांव में भर्ती करवाया जहां प्रार्थी का ईलाज चला, ईलाज के दौरान प्रार्थी का पैर काट दिया गया। प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में ए.ड. 1 रीना, ए. ड. 2 सन्नी कुमार व ए.ड. 3 भोलूराम के बयान लेखबद्ध करवाए है व दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत की है। जिससे प्रार्थी की याचिका पूर्ण रूप से साबित है। अतः प्रार्थी को वांछित अनुतोष दिलवाया जावे।

10. उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए अधिवक्ता अप्रार्थी बीमा कम्पनी द्वारा तर्क दिया गया है कि हस्तगत प्रकरण उक्त दुर्घटना दिनांक 13.10.2019 को हुई तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 04.12.2019 को 47 दिन बाद दर्ज करवाई गई है तथा चोट प्रतिवेदन व एक्स रे रिपोर्ट दिनांक 19.12.2019 को 62 दिन बाद बनाई है। जिससे जाहिर आता है कि प्रार्थी पक्ष द्वारा बीमित वाहन के चालक व स्वामी से मिलकर मिथ्या रूप से यह क्लेम प्रस्तुत किया है जो कि खारिज किए जाने योग्य है।

11. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्येक विवाद्य क पर विवेचन निम्न प्रकार है :–

<u>–: विवाद्यक संख्या 01 :–</u>

12. इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थी पक्ष पर था। इस संबंध में प्रार्थी भोलुराम गवाह ए.ड. 03 के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने अपने बयानों में कथन किया है कि दिनांक 13.10.2019 को समय शाम करीब आठ साढे आठ बजे वह मोटरसाईकिल पर

उसकी सास को रेलवे स्टेशन से लेने के लिये जा रहा था। वह हरसौली बस स्टेंड के पास पहुँचा तो एक जीप ने उसके टक्कर मार दी जिसका नंबर आर जे 14 यूए 9521 था। यह दुर्घटना जीप चालक की गलती व तेज लापरवाही के कारण हुई थी जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उसका ईलाज गुरूग्राम में वेदांता अस्पताल में चला जहां उसके करीब बीस लाख रूपये से भी ज्यादा खर्च हो गये थे। वह करीब तीन महिने तक वेदांता में भर्ती रहा था। घटना के 10–20 मिनट बाद ही वह बेहोश हो गया था एवं उसे होश करीब 03 महिने बाद आया था। उसे उसके पीछे ही चल रहे विकास उर्फ सन्नी ने खैरथल अस्पताल लेकर गया था तथा उसके घरवालों को सूचना दी। वह घटना के समय नौंवी कक्षा में पढता था तथा उसके साथ साथ ही वह मजदूरी भी करता था जिससे वह पच्चीस हजार रूपये प्रतिमाह कमा लेता था। अब वह अपाहिज हो गया है एवं कोई काम नहीं करता है उसकी पढ़ाई भी छूट गई है। थाना खैरथल में उसकी माताजी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका जयपुर भी ईलाज चला था। उसने क्लेम जरिये वाद मित्र उसकी माता के पेश किया था। वह उस समय क्लेम पेश करने की हालत में नहीं था। प्रदर्श 15 उसका अयोग्यता प्रमाण पत्र है जहां से उसने उक्त प्रमाण पत्र बनवाया था वहां भी वह कई बार दिखाने के लिये गया था। उसे क्लेम में वर्णित राशि दिलवाई जावे। **जिरह** में गवाह ने कथन किया कि दुर्घटना शाम को करीब आठ बजे हुई थी। उस समय पूर्णरूप से अंधेरा नहीं हुआ था। उस समय आसपास गाडियों नहीं चल रही थी, जीप चल रही थी जिसने उसके टक्कर मारी थी। जब उसके टक्कर लगी तब वह उसी समय बेहोश नहीं हुआ था, करीब दस मिनट बाद बेहोश हुआ था। बाद में उसे तीन माह तक होश नहीं आया था। जीप वाले ने सामने से टक्कर मारी थी। वह साईड में चल रहा था एवं जीप वाले ने बीच में से साईड में आकर उसके टक्कर मारी थी। मोटरसाईकिल वह ही चला रहा था। उसके से अब मोटरसाईकिल नहीं चलती है। उसके पास मोटरसाईकिल चलाने का लाईसेंस था जो उसके अलवर से बनवाया था। लाईसेंस के नंबर मुझे आज याद नहीं है। लाईसेंस किस तारीख को बनवाया था, तारीख उसे आज याद नहीं है। यह कहना गलत है कि उसके पास लाईसेंस ना हो इसलिये उसने लाईसेंस पेश नहीं किया हो। यह कहना गलत है कि वक्त घटना उसने हेलमेट नहीं पहन रखा हो। टक्कर लगने पर उसका हेलमेट निकलकर दूर गिर गया था। उसके पीछे विकास व सन्नी आ रहे थे उन्होंने पुलिस को सूचना दी होगी, उसने नहीं देखा। विकास व सन्नी के आने से पहले टक्कर मारने वाली जीप मौके से नहीं गई थी बल्कि उन्हें क्रोस करके ही आई और

उसके टक्कर मारी थी। विकास व सन्नी ने उसके टक्कर लगते ही उसके को संभालकर अस्पताल पहुँचाया उस दौरान पुलिस को सूचना दी या नहीं उसे नहीं पता। पुलिस में किसने सूचना दी और कब सूचना दी इसकी जानकारी उसे नहीं है। प्रदर्श 15 जिन डॉक्टरों से बनवाया था उनको उसने दिखाया था। प्रदर्श 15 बनाने वाले डॉक्टरों की बिल या पर्ची उसने पेश नहीं की है। दुर्घटना के समय उसकी उम्र 20 वर्ष थी और उसने नवीं कक्षा की परीक्षा दी थी। यह कहना गलत है कि दुर्घटना उसके स्वयं की गलती व लापरवाही से हुई हो और बाद में क्लेम लेने के उद्देश्य से जीप को जोडा गया हो।

13. प्रकरण के गवाह ए.ड. 1 रीना ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन करती है कि उसके लडके का एक्सीडेन्ट हुआ था, जो दिनांक 13.10.2019 को समय करीब शाम को 8 बजे हुआ था उसका लडका अपनी सास को लाने के लिए रेलवे स्टेशन हरसोली जा रहा था, हरसोली बस स्टेंड के पास पहुंचा तो एक जीप जिसके नम्बर आरजे 14 यूए 9521 थे वो तेज गति से आई और उसके लडके के टक्कर मार दी जिससे उसके लडके के गम्भीर चोटे आई, उसके लडके को दुर्घटना स्थल पर मौजुद सन्नी और विकाश ने खैरथल अस्पताल पहुंचाया उसके ज्यादा चौटे होने के कारण उसको अलवर सोलंकी अस्पताल ले गये वहा पर दो दिन रहेने के बाद गुडगांव में वेदांन्ता अस्पताल में भर्ती करवाया ये लडका 15.10.2019 से 31.142.2019 तक वेदान्ता अस्पताल रहा उसके बाद प्रत्येक माह उसके लडके को दिखाने के लिए वेदान्ता अस्पताल लेके जाया जाता है। उसके लडकी के सिर पर ज्यादा चोटे थी बहोशी हालत में था इसलिए उसने जरिये वाद पत्र उसके लडके का न्यायालय में क्लेम पेश किया, उसके लडके की हालत अभी भी सही नहीं है वह तुतलाकर बोलता है एवं यादास्ती भी नहीं है थोडी देर में ही बाते भुल जाता है अब वो अपाहिज जैसा जीवन जी रहा है आज भी रेस्ट ही कर रहा है उसका लडका पढाई व मजदुरी का काम करता था जिससे 20–25 हजार रूपये कमा लेता था। अब लडका कमाने लाईक नहीं है वह सिर्फ बिस्तर पर पड़ा रहता है उसकी देख रेख के लिए उन्होंने एक आदमी रख रखा है जिसकों 2 हजार रूपये प्रतिमाह के देते है। उसके लडके के ईलाज में करीब 40 लाख रूपये खर्च हो गये एवं हर दो माह पर दवाईया लेके आना पड़ता है। इस दुर्घटना में उसके लडके की कोई गलती नहीं है जीप वाले की गलती से हुआ था। उसके पति भी बीमार रहते है, वह उसके लडके के ईलाज में व्यस्त होने के कारण रिपोर्ट दर्ज समय पर नहीं करा सकी थी, दुर्घटना की सुचना उसी दिन थाने में दे दी, पुलिस वालों ने रिपोर्ट क्यूं दर्ज

नहीं की उसे नहीं पता। प्रदर्श 1 एफआईआर, प्रदर्श 2 चार्जशीट प्रदर्श 3 तहरीरी एफआईआर, प्रदर्श 4 नक्शा मौका, प्रदर्श 5 फर्द जप्ती जीप, प्रदर्श 6 फर्द निरीक्षण मोटरसाईकिल, प्रदर्श 7 133 एमवीएक्ट नोटिस, प्रदर्श 8–134 एमवीएक्ट नोटिस, प्रदर्श 9 मैकेनिक मुआयना जीप, प्रदर्श 10 इन्जरी रिपोर्ट उसके बेटे की, प्रदर्श 11 एक्सरे रिपोर्ट, प्रदर्श 12 इन्शयोरेन्स पॉलिसी जीप, प्रदर्श 13 ड्राईवर लाईसेन्स सतीश, प्रदर्श 14 आर सी जीप, प्रदर्श 15 उसके बेटे का स्थाई अयोग्यता प्रमाण पत्र, प्रदर्श 16 रेफरल कार्ड, प्रदर्श 17 लगायत 273 मेरे बेटे भोलू के दवाईयों के बिल पर्चीया व जांच रिपोर्ट वगैरह है। क्लेम पिटिशन में मागी गई क्षतीपूर्ती दिलाई जावे। **जिरह** में गवाह ने कथन किया कि दुर्घटना उसने नहीं देखी वह उस समय पर घर पर थी, बाद में उसके को फोन पर पता चला तो वह सबसे पहले हरसोली पहुंची फिर पता चला की वहॉ से खैरथल ले गये तो वह फिर खैरथल गई। खैरथल हम जल्दी ही पहुच गये थे खैरथल से उन्हें अलवर रेफर कर दिया था। उन्होंने थाने पर सूचना उसी दिन दे दि थी। उसने थाने पर लिखित में कोई सुचना नहीं दी थी। उसने दुर्घटना के दो ढ़ाई महीने बाद रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वह पढ़ी लिखी नहीं हैं। रिपोर्ट विकाश व सन्नी ने लिखवाई थी। दुर्घटना के समय मोटरसाईकिल उसका बेटा भोलूराम ही चला रहा था। मोटरसाईकिल चलाने का लाईसेन्स था या नहीं था वह नहीं बता सकती। उसने दवाईयों की बिल पर्चीया पेश की है जिसमें प्रदर्श 51 से 55 व प्रदर्श 60 से 76 व 117–118 व प्रदर्श 120 से 142, प्रदर्श 144 से 172 व 175 से 179 ये बिल की कम्प्युटराईज कॉपियां पेश की है ये फोटोकॉपियां असल नहीं है। ये कहना सही है कि प्रदर्श 143 जो दिनांक 11.11.2019 का है जो दिनांक 15.10.19 से 11.11.19 तक का है इसमें सारी बिल पर्चीया आ गई। ये कहना सही है कि प्रदर्श 15 बनाने वाले डॉक्टर से ईलाज करवाया या नही मैं नहीं बता सकता। ये सही की प्रदर्श 15 बनाने वाले डॉक्टर की ईलाज की बिल पर्चीया पेश नहीं की। ये कहना सही है कि उसके बच्चे की देख रेख के लिए जो उसने रख रखा है उसका ना नाम पता बताया और ना कोई वेतन की पर्ची पेश की है। ये कहना गलत है कि उसके लडके का जीप से एक्सीडेन्ट नहीं हुआ हो तथा मोटरसाईकिल स्लिप होने से हुई हो व बाद में क्लेम लेने के लिए जीप नम्बर आरजे 14 यूए 9521 के चालक व मालिक के साथ साझकर दो महीने बाद झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई हो। ये कहना गलत है कि वह क्लेम लेने के लिए झूठे बयान दे रही हो। उसके लडके की दुर्घटना जीप चालक की गलती से हुई थी। ये कहना सही है कि मै मौके पर नहीं थी इसलिए नहीं बता सकती की ये दुर्घटना कैसे हुई थी।

14. प्रकरण के गवाह ए.ड. 2 सन्नी कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि यह दिनांक 13.10.2019 की घटना है। समय करीब सायं 8.30 बजे वह व उसका दोस्त विकास हरसौली जा रहे थे। हरसौली स्टेंड के पास पहुंचे तो एक जीप नंबर आरजे 14 यूए 9521 बडी तेज गति से आई और आकर के भोलूराम कंजर के टक्कर मार दी। जिससे उसे गम्भीर चोटें आई और मौके पर बेहोश हो गया। वह व विकास भोलूराम को उठाकर खैरथल अस्पताल लेकर गये तथा भर्ती कराया और उसके परिवारजन को सूचना दी। परिवारजनों को घटना के बारे में बताया तथा जिस गाडी से घटना हुई उसके नंबर आरजे 14 यूए 9521 बताई। यह दुर्घटना वाहन चालक आरजे 14 यूए 9521 की गलती व लापरवाही से कारित हुई है इसमें भोलूराम की कोई गलती नहीं है। पुलिस ने उसके सामने घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया था जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। **जिरह** में गवाह कथन करता है कि वह और उसका दोस्त विकास किसी काम से हरसौली जा रहे थे। उसका घर दुर्घटना स्थल से लगभग 19 किमी. की दूरी पर है। रात के समय थोडा सा अंधेरा था। दुर्घटना स्थल पर वाहन चालक पांच मिनट करीब रूका और उसके बाद भाग गया। वह घटना स्थल से करीब पचास मीटर की दूरी पर था। भोलूराम हमारी जाति का था इसलिए उससे जान पहचान थी। जिस वाहन से दुर्घटना हुई उसके चालक को वह नहीं जानता है। अंधेरे के कारण वाहन का रंग व कम्पनी का नाम नहीं देख पाया। दुर्घटना स्थल से थाना कितनी दूरी पर था उसे जानकारी नहीं है। दुर्घटना के बाद वह थाने में नहीं गया बल्कि सीधे अस्पताल गया थे। उसके सामने पुलिस भी मौके पर नहीं पहुंची थी। पुलिस द्वारा नक्शा मौका घटना के करीब दो महीने बाद तैयार किया था। उससे पहले पुलिस द्वारा उससे कोई पूछताछ नहीं की और ना ही उसने पुलिस को खुद जाकर बताया था।

15. इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी पक्ष द्वारा जो साक्ष्य अपने समर्थन में प्रस्तुत की गई है उसके अंतर्गत सर्वप्रथम महत्वपूर्ण गवाह ए.ड. 01 भोलुराम है जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में क्लेम याचिका में वर्णित तथ्यों की पुष्टि की है व कथन किया है कि दिनांक 13.10.2019 को शाम समय करीब आठ साढे आठ बजे वह मोटरसाईकिल पर उसकी सास को रेलवे स्टेशन से लेने के लिये जा रहा था, हरसौली रेलवे स्टेशन के पास पहुॅचा तो एक जीप ने मेरे टक्कर मार दी जिसका नम्बर आरजे 14 यूए 9521 था। यह दुर्घटना जीप चालक की गलती व लापरवाही के कारण हई थी। गवाह ए. ड. 2 सन्नी जो कि दुर्घटना के समय मौके पर उपस्थित था, उसके द्वारा भी उक्त द

ाटनाक्रम की पुष्टि करते हुए ही कथन किया है कि दिनांक 13.10.2019 को समय करीब सायं 8.30 बजे वह व उसका दोस्त विकास हरसौली स्टेंड के पास एक जीप नम्बर आरजे 14 यूए 9521 बडी तेज गति से आकर भोलूराम कंजर के टक्कर मार दी जिससे उसे गंभीर चोटे आई। उक्त तथ्यों की पुष्टि गवाह ए.ड. 1 रीना ने भी अपनी साक्ष्य में की है। उक्त तीनों ही गवाहों की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आरजे 14 यूए 9521 के चालक द्वारा उपेक्षा व तेज गति से मोटरसाईकिल चलाते हुए प्रार्थी पक्ष की मोटरसाईकिल के टक्कर मारी गई थी जिससे प्रार्थी भोलूराम गंभीर रूप से घायल हो गए था। प्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत तीनों ही गवाहन की जिरह में भी कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात नहीं आयी जिससे उनकी विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न हो।

16. प्रार्थी द्वारा जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये है उनका अवलोकन करे तो प्रदर्श 1 प्रथम सूचना रिपोर्ट है जो कि दिनांक 04.12.2019 को दर्ज करवाई गई है, प्रदर्श 2 आरोप पत्र है जिसके अंतर्गत अप्रार्थी सतीश के विरूद्ध धारा 279, 337, 338 भादस में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है, प्रदर्श 3 तहरीरी रिपोर्ट है जो कि प्रार्थी की माता रीना देवी द्वारा दिनांक 04.12.2019 को दर्ज करवाई गई है एवम् तहरीरी रिपोर्ट में घटनाक्रम का वहीं वर्णन दिया गया है जो कि याचिका में वर्णित है। तहरीरी रिपोर्ट में यह भी अभिलिखित किया गया है कि दिनांक 13.10.2019 व 14.10.2019 को सोलंकी अस्पताल अलवर में उनके पुत्र का ईलाज चला। हालत गंभीर होने से दिनांक 15.10.2019 से 11.11.2019 तक वह मेदांता अस्पताल में भर्ती रहा। प्रदर्श 27 प्रार्थी भोलू के मेदांता अस्पताल की डिस्चार्ज समरी है जिसके अंतर्गत भोलू को दिनांक 15.10.2019 तक 11.11.2019 तक भर्ती होना दर्शित किया गया है। प्रदर्श 16 सीएचसी खैरथल का रैफरल कार्ड है जो दिनांक 13.10.2019 का है जिसके अंतर्गत प्रार्थी भोलू को ईलाज हेतु हायर सेंटर में रैफर किया गया है एवम् रैफर करने का कारण हैडइंजरी अभिलिखित है। पत्रावली पर भोलू के अन्य चिकित्सा संबंधी दस्तावेज है जिससे जाहिर आता है कि प्रार्थी भोलू दुर्घटना के पश्चात् निरंतर ईलाजरत रहा है। अतः प्रार्थी पक्ष द्वारा जो दुघ ्टना की रिपोर्ट देरी से दर्ज करवाई गई है उसका कारण संतोषप्रद प्रतीत होता है। प्रदर्श 4 घटनास्थल का नक्शा मौका है जिसके अंतर्गत मुण्डावर रोड पर उक्त दुर्घटना दर्शित होना बताई गई है। प्रदर्श 5 महिन्द्रा कमांडर जीप नम्बर आरजे 14 यूए 9521 की फर्द जप्ति है एवं वाहन को पुलिस थाना खैरथल परिसर से ही जप्त किया गया है। प्रदर्श 6 फर्द निरीक्षण दुर्घटनाग्रस्त वाहन मोटरसाईकिल नमबर आरजे 02 डीजी 0830 है जिसके अतंर्गत वाहन के लेगगार्ड व साईलेंसर पर रगड के निशान दर्शाए गए

हैं। प्रदर्श 9 दुर्घटना कारित करने वाली कमांडर जीप की मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट है जिसपर भी रगड के निशान पाए गए हैं। प्रदर्श 10 व प्रदर्श 11 आहत भोलूराम के चोट प्रतिवेदन है जिससे उसके शरीर पर दुर्घटना के परिणामस्परूप साधारण व गंभीर उपहति होना दर्शित होता है। जहॉ तक दुर्घटना कारित करने वाली कमांडर जीप को देरी से जप्त किए जाने का प्रश्न है उसपर न्यायालय का मत है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा अपने अनुसंधान के दौरान वाहन कमांडर जीप को जप्त किया है। अतः मात्र जीप देरी से जप्त करना यह साबित नहीं कर देता है कि उस वाहन द्वारा दुर्घटना कारित नहीं हुई है क्योंकि चक्षुदर्शी साक्षी, वाहन की मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट, नक्शा मौका, चिकित्सकीय दस्तावेज, पुलिस अनुसंधान सभी एक दूसरे की पुष्टि करते है इसलिये केवल जप्ती में विलंब से सम्पूर्ण प्रार्थी का प्रकरण अविश्वसनीय नहीं हो जाता एवं अनुसंधान अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान के पश्चात् आरोप पत्र अप्रार्थी सतीश के विरूद्ध प्रस्तुत किया है जिसके खण्डन में अप्रार्थी पक्ष द्वारा कोई मौखिक एवम् दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः यह विवाद्यक प्रार्थी के पक्ष में तय किया जाता है।

–: विवाद्यक संख्या 02 :–

17. इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थी पक्ष पर था। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के प्रकाश में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन की आर.सी. प्रदर्श 14 पेश की गई है, जिसमें वाहन का पंजीकृत स्वामी अप्रार्थी सं. 02 सुनील कुमार का होना जाहिर होता हैं। घटना के संबध में पुलिस द्वारा प्रश्नगत वाहन चालक के संबंध में अप्रार्थी संख्या 02 को धारा 133 एमवीएक्ट का नोटिस प्रदर्श 7 दिया गया, जिसमें वक्त घटना प्रश्नगत वाहन का चालक सतीश कुमार का होना बताया जो कि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 01 है तथा अप्रार्थी संख्या 01 को धारा 134 एमवीएक्ट का नोटिस प्रदर्श–8 दिया गया, जिसमें उसने कथन किया कि वरवक्त दुर्घटना वाहन संख्या आरजे 14 युए 9521 पर चालक वह स्वयं था। प्रदर्श 14 सुनील कुमार का ड्राईविंग लाईसेंस है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रकरण में प्रश्नगत वाहन का चालक वक्त घटना अप्रार्थी संख्या 2 के नियोजन में उसकी सहमति से, उसके हितार्थ ही चला रहा था। इस प्रकार से यह विवाद्यक बहक प्रार्थी व विरूद्ध अप्रार्थीगण तय किया जाता है।

–: विवाद्यक संख्या 04 :–

18. इस विवाद्यक को साबित करने का भार बीमा कम्पनी पर था। अप्रार्थी पक्ष द्वारा जो भी आपत्ति ली गई है, उनका निस्तारण विवाद्यक संख्या 1 व 2 को निस्तारित करते समय

कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति नहीं ली गई है। चूंकि प्रार्थी पक्ष द्वारा अपनी समस्त साक्ष्य से अप्रार्थी पक्ष की आपत्तियों का पूर्व में खण्डन किया जा चुका है। अतः यह विवाद्यक बीमा कंपनी के विरुद्ध तय किया जाता है।

–: विवाद्यक संख्या 03 :–

19. इस विवाद्यक को सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर था, जिसमें हमें यह तय करना है कि प्रार्थी/याची द्वारा याचिका में वांछित अनुतोष बाबत् क्षतिपूर्ति राशि में से कितनी राशि प्राप्त कर सकता है ?

20. याचिकाकर्ता भोलूराम द्वारा अपनी याचिका में स्वयं की आयु दुर्घटना के समय 20 वर्ष होना बताया है। प्रार्थी भोलूराम के आधार कार्ड की प्रति पत्रावली पर पेश है जिसमें प्रार्थी की जन्म दिनांक 01.08.2001 अभिलिखित है जिससे प्रार्थी की आयु दुर्घटना के समय 18 साल दो माह होना पाई जाती है। अतः प्रार्थी की आयु दुर्घटना के समय 18 वर्ष निर्धारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत 2009(2) TAC 677 (SC) श्रीमती सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य में 15–20 वर्ष आयु वर्ग के लिए क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण हेतु 18 का गुणांक प्रयोग किया जाना बताया गया है, इसलिए गुणांक 18 लागू होगा।

21. याचिकाकर्ता भोलूराम ने अपनी याचिका एवं मौखिक साक्ष्य में स्वयं को मजदूरी करना बताया है एवं स्वयं की आय 25,000/– रुपए प्रतिमाह बताई है परंतु आय के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी को दस्तावेजात व साक्ष्य के अभाव में अकुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाना उचित प्रतीत होता है एवं प्रार्थी की आय राजस्थान सरकार के श्रम विभाग के द्वारा अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मासिक मजदूरी की दर से निर्धारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। याचिका में दुर्घटना दिनांक 13.10.2019 को घटित होना बताया गया है। उक्त दिवस को राजस्थान सरकार के द्वारा 225/– रुपए प्रतिदिन अकुशल मजदूरी निर्धारित की गई है। अतः आहत की आय प्रतिमाह 6,750/– रुपए अर्थात 81,000/– रुपए वार्षिक आय अभिनिर्धारित की जाती है।

22. प्रार्थी द्वारा प्रदर्श 15 स्थायी निशक्तता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार चिकित्सा मण्डल द्वारा प्रार्थी को सम्पूर्ण शरीर के संबंध में 75 प्रतिशत स्थायी निशक्तता

प्रमाणित की गई है। उक्त प्रमाण–पत्र में दुर्घटना के परिणामस्वरूप प्रार्थी को सिर में गंभीर चोट लगने तथा उसके फलस्वरूप Cerebral Atrophy विकसित होने का उल्लेख है, जिसके कारण उसे बिना सहारे चलने–फिरने में कठिनाई होती है। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Raj Kumar vs Ajay Kumar] (2011) 1 SCC 343 में प्रतिपादित सिद्धांतानुसार चिकित्सा मण्डल द्वारा प्रमाणित स्थायी शारीरिक निशक्तता और आय अर्जित करने की क्षमता में कमी दोनों एक समान नहीं माने जा सकते। न्यायालय को प्रत्येक मामले में पीड़ित के व्यवसाय, लगी हुई चोटों की प्रकृति तथा उन चोटों के उसके व्यवसाय पर वास्तविक प्रभाव का स्वतंत्र मूल्यांकन करना होता है। प्रार्थी के चिकित्सकीय दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी के सिर पर गंभीर प्रकृति की चोट है। इस प्रकार उक्त चोट को मध्य नजर रखते हुए प्रार्थी की स्थाई निशक्तता सम्पूर्ण शरीर के संदर्भ में 50 प्रतिशत निर्धारित किए जाना उचित प्रतीत होता है।

23. प्रार्थी की आय का निर्धारण न्यूनतम मजदूरी के आधार पर किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने National Insurance Co- Ltd- v- Pranay Sethi एवं अन्य, (2017) 16 SCC 680 तथा Jagdish v Mohan & Other, (2018) 4 SCC 571 में प्रतिपादित किया है कि स्थायी अपंगता के मामलों में भी, जहाँ भविष्य में आय अर्जित करने की क्षमता प्रभावित होती है, वहाँ परिस्थितियों के अनुसार Future Prospects का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित है। वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी की आयु दुर्घटना के समय लगभग 18 वर्ष थी तथा वह अकुशल श्रमिक के रूप में कार्यरत था। उसकी आयु को दृष्टिगत रखते हुए यह स्वाभाविक है कि समय के साथ उसकी आय में वृद्धि होती। अतः उपर्युक्त न्यायिक सिद्धांतों के प्रकाश में प्रार्थी की वार्षिक आय में 40 प्रतिशत Future Prospect जोड़ा जाना उचित प्रतीत होता है।

24. प्रार्थी द्वारा उपचार के दौरान जो चिकित्सा व्यय हुआ है इसके संदर्भ में प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रदर्श 17 लगायत प्रदर्श 268 चिकित्सा एवं दवाईयों की बिल पर्चियां प्रस्तुत की गई हैं। प्रार्थी का चिकित्सा व्यय 42,06,836/– रुपए हुआ है। अतः प्रस्तुत बिलों की राशि 42,06,836/– रुपए पुर्नभरण करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

25. प्रार्थी भोलूराम दिनांक 13.10.2019 व 14.10.2019 को सोलंकी अस्पताल अलवर में व दिनांक 15.10.2019 से 11.11.2019 तक मेदांता अस्पताल में तक कुल 28 दिवस अस्पताल में भर्ती रहा है एवं इसके पश्चात् भी निरन्तर उपचाररत रहा है। जहां प्रार्थी को अपनी सार संभाल के लिए परिचर्या एवं पोषाहार की आवश्यकता रही होगी। अतः

प्रार्थी को पोषाहार एवं परिचर्या के मद में 30,000/– रुपए प्राप्त करने का अधिकारी है।

26. चूंकि प्रार्थी गांव तिनकरूडी, थाना मुण्डावर का निवासी है एवं उसका उपचार सोलंकी अस्पताल अलवर व मेदांता अस्पताल गुडगाव में हुआ है। अतः प्रार्थी पक्ष का परिवहन के मद में व्यय भी हुआ होगा। चूंकि प्रार्थी कुल 28 दिन सोलंकी अस्पताल अलवर व मेदांता अस्पताल गुडगाव में भर्ती रहा है एवं इसके संबंध में प्रार्थी पक्ष द्वारा दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए हैं। अतः परिवहन के मद में प्रार्थी 50,000/– रुपए प्राप्त करने का अधिकारी है।

27. इस याचिका में अभिकथित की गई दुर्घटना के परिणामस्वरूप प्रार्थी सिर पर गंभीर प्रकृति की चोट पाई गई है तथा प्रार्थी कुल 28 दिन अस्पताल में भर्ती रहा है। अतः इस अधिकरण के विनम्र मत में याचिकाकर्ता को उक्त दर्द व पीड़ा की मद में 70,000/– रुपए की राशि प्रतिकर स्वरूप प्रदत्त करवाया जाना युक्तियुक्त, न्यायोचित व विधिसम्मत है। उपरोक्तानुसार आहत राजकुमार को क्षतिपूर्ति राशि निम्न प्रकार दिलवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

मासिक आय	**225 X 30**	**6,750/– रुपए**
वार्षिक आय	**6,750 X 12**	**81,000/– रुपए**
भविष्यगत आय वृद्धि 40 प्रतिशत	**81,000 X 40/100**	**32,400**
भविष्यगत वृद्धि सहित वार्षिक आय	**81,000 + 32400**	**1,13,400**
काम करने की क्षमता की हानि 50 प्रतिशत प्रभावित हुई है।	**1,13,400 X 50/100**	**56,700/–रूपए**
गुणांक 18	**56,700 X 18**	**10,20,600/– रुपए**
आय में कमी	**10,20,600**	**10,20,600/–रूपए**
चिकित्सा व्यय	**42,06,836**	**42,06,836/– रुपए**
मानसिक संताप (दर्द एवं पीड़ा)	**70,000**	**70,000/– रुपए**
परिचर्या पोषाहार व्यय	**30,000**	**30,000/– रुपए**
यातायात व्यय	**50,000**	**50,000/– रुपए**

अतः उक्तानुसार प्रार्थी 53,77,436/– रूपए (अक्षरे तिरेपन लाख सतहत्तर हजार चार सौ छत्तीस रूपये मात्र) राशि क्षतिपूर्ति के रूप में पाने योग्य पाया जाता है।

28. उक्त क्षतिपूर्ति राशि पर ब्याज दर कितनी प्रतिशत प्रदान की जाए। इस पर संबंधित अधिनियम के प्रावधान मौन हैं। अतः इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सम्मानीय न्यायिक दृष्टांत **"In Supe Dei Vs. National**

Insurance Company Limited, 2002 ACJ 1166 (SC) में अभिनिर्धारित किया गया है कि 9 per cent per annum would be the appropriate rate of interest to be awarded in motor accident claim compensation cases. इसी प्रकार का मत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत एम.सी.डी. बनाम एसोसिएशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ उपहार ट्रेजडी, ए.आई.आर 2012; एस.सी.द्ध पेज 100 व नरेन्द्र सिंह बनाम निशान्त शर्मा व अन्य सिविल अपील नम्बर 7109/2013 में अभिव्यक्त किया गया है। अतः अप्रार्थी पक्ष प्रार्थी पक्ष को याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक 19.08.2020 से तावसूली तक 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करने हेतु दायित्वाधीन है।

29. इस प्रकार उपर्युक्तानुसार प्रार्थी कुल 53,77,436/– रूपए (अक्षरे तिरेपन लाख सतहत्तर हजार चार सौ छत्तीस रूपये मात्र) की राशि प्रतिकर के रूप में समस्त विपक्षीगण से संयुक्त रूप से व पृथक–पृथक रूप से प्राप्त करने का अधिकारी है तथा इस राशि पर याचिका प्रस्तुति दिनांक 19.08.2020 से 9 प्रतिशत के साधारण ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित है और इसी अनुरूप उपर्युक्त विवाद्यक निर्णित किया जाता है तथा याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत की गई यह याचिका आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य है।

–:: अनुतोष ::–

30. उपरोक्त विवेचनानुसार विवाद्यक संख्या–01, 02 व 03 प्रार्थी के पक्ष में पूर्ण रूप से सत्यापित किये जाने से प्रार्थी पक्ष सफल रहा है एवं विवाद्यक संख्या–04 अप्रार्थी बीमा कम्पनी स्वयं के पक्ष में सत्यापित किये जाने में असफल रही है। अतः उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी भोलूराम क्षतिपूर्ति राशि 53,77,436/– रूपए (अक्षरे तिरेपन लाख सतहत्तर हजार चार सौ छत्तीस रूपये मात्र) क्लेम याचिका प्रस्तुति दिनांक 19.08.2020 से अदायगी होने तक 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित प्राप्त करने के अधिकारी है।

– :: पंचाट :: –

31. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 140/166 एम.वी.एक्ट बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर अंतिम पंचाट इस कदर पारित किया जाता है कि प्रार्थी प्रतिकर राशि स्वरूप 53,77,436/– रूपए (अक्षरे तिरेपन लाख सतहत्तर हजार चार सौ छत्तीस रूपये मात्र) मय नौ प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज याचिका दायरी 19.08.2020 से अदायगी तक अप्रार्थीगण 01 लगायत 03 से संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक प्राप्त करने

के अधिकारी होंगे। प्रकरण के समग्र परिस्थितियों के दृष्टिगत पंचाट राशि का वितरण प्रार्थी को निम्न प्रकार से किया जाता हैः–

क्र. सं.	नाम	बचत खाता में देय राशि रुपयों में	सावधि जमा खाता में देय राशि रुपयों में	सावधि जमा खता में जमा राशि की अवधि
1.	भोलूराम	33,77,436 / –	20,00,000 / –	तीन साल

32. प्रार्थीगण को यदि अंतरिम प्रतिकर की राशि पूर्व में अदा की गयी हो तो वह राशि उसे प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति राशि में से समायोजित की जावे।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के मार्गदर्शी न्यायिक सिद्धांत ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO. LTD. VS. STATE OF RAJASTHAN & ANR. CIVIL WRIT NO. 6237/2017 DATE 03 / 10 / 2018 के अनुसरण में आदेशित किया जाता है किः–

अप्रार्थीगण / भुगतानकर्ता को पंचाट की प्रति जरिये ई–मेलः–adj3kot-jaipr-rj@hcraj.nic.in प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पंचाट में पारित प्रतिकर राशि को अधिकरण के पंजाब नेशनल बैंक, शाखा कोटपूतली के खाता संख्या 1522101700000021 में सीधे ही जरिए NEFT/RTGS जमा करवाएगी।

अप्रार्थीगण पंचाट की पालना के संबंध में 15 दिवस में सूचना निर्धारित प्रपत्र में अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर सूचित करेंगे। प्रतिकर राशि जमा होने के पश्चात् अधिकरण का बैंक पंचाट के अनुसार याचिकाकर्ता / प्रार्थीगण को उनके बैंक खाते में NEFT/RTGS के माध्यम से भुगतान करेंगे।

प्रार्थीगण का बैंक प्रार्थीगण को उक्त सावधि जमाओं के आधार पर अधिकरण की अनुमति के बिना कोई ऋण या अग्रिम राशि स्वीकृत नहीं करेगा तथा परिपक्वतापूर्वक भुगतान नहीं करेगा।

प्रार्थीगण का बैंक अधिकरण की अनुमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को संयुक्त खाताधारक के रूप में संयोजित नहीं करेगा।

प्रार्थी के नाबालिग होने की दशा में इस प्रकृति का उसके बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत किया जावे जिसमें उसके संरक्षक का नाम विनिर्दिष्ट हो।

प्रार्थी / आहत के नाम जो एफ.डी.आर. की गई है, उन सभी पर मासिक ब्याज जरिये बचत खाता देय होगा।

यदि अप्रार्थीगण/भुगतानकर्ता प्रार्थीगण को मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि के ब्याज का टी.डी.एस. काटा गया है तो उसका पूर्ण विवरण निर्णय में दिये गये प्रपत्र के अनुसार अधिकरण के समक्ष पेश करेंगे। इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण टी.डी.एस. की कटौती की दशा में फार्म नंबर 16ए भी अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अधिकरण व प्रार्थीगण के अधिवक्ता को भी सूचित करेंगे।

दावेदार द्वारा प्रकरण में अपने स्वयं के बचत खाते की बैंक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणित प्रति, पेन कार्ड की प्रति व आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत नहीं की है जो अविलम्ब अधिकरण में प्रस्तुत करें।

राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश क्रमांक 07/पी.आई./2023 दिनांक 25.07.2023 के अनुसार बीमा कंपनी/अप्रार्थीगण द्वारा दावेदार अधिवक्ता/दावेदार प्रतिकर राशि अधिकरण में जमा करा दिये जाने की सूचना देने के 30 दिन की अवधि में दावेदार की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अधिकरण द्वारा प्रतिकर राशि को राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा में 6 माह में या नवीनीकृत अवधि के लिए रखा जा सकेगा।

(डॉ. अंजुम खान)
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण,क्रम–3
कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड़

33. निर्णय आज दिनांक 16.07.2026 को लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अंजुम खान)
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण,क्रम–3
कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड़